आदेश	कार्यवाही विवरण 59/2021	अनुपालना में क्रमांक व दिनांक
	गजेन्द्र सिंह बनाम तहसीलदार आदि	

14.09.2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप0। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने आदेशिका पर हस्ताक्षर इस बाबत् किये कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बहस प्रा0 प0 मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा पेन कार्ड, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र छिन्तर सिंह, मतदाता परिचय पत्र, शपथ पत्र छितर सिंह अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी का सही नाम छितर सिंह उर्फ छिन्तर सिंह पुत्र पेप सिंह है। नत्थू सिंह एवं छितर सिंह उर्फ छिन्तर सिंह दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम झड़ाया नगर पटवार हल्का पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 4224/3275 कुल किता 6 कुल रकबा 2.3500 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम नत्थू सिंह पुत्र पेप सिंह के बजाय छितर सिंह उर्फ छिन्तर सिंह पुत्र पेप सिंह दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2022.06.23 12:54:01 IST
Reason: SelfAttested

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner